FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटगणः– बनाम रेस्पोडेन्टगण :–

भबूतराम पुत्र प्रतापराम जाति जाट, उर्म 80 वर्ष निवासी लिलरिया, तहसील जैतारण जिला पाली

राजस्थान राज्य जरिए भूमिधारी तहसीलदार, जैतारण

किस्म मुकदमा : राजस्व विविध 07/2018
आर.सी.एम.एस. नम्बर :– 2018/00039
अन्तर्गत धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.02.2018	प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने मूल अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 81 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 तहसीलदार, जैतारण के प्रकरण संख्या 238/2017 बअनवान सरकार बनाम भभूतराम अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में निर्णय दिनांक 01.01.2018 के विरूद्ध पेश किया है। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सूनी गई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें। बाद सूनने बहस तहसीलदार जैतारण के उपरोक्त प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 01.01.2018 की पालना एवं प्रभाव को आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.02.2018 तक स्थगित किया जाता है। पालनार्थ तहसीलदार जैतारण का तहरीर जारी हो। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब कर पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 22.02.2018 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	251 15.2.18 254 15.2.18
22.02.2018	पत्रावली आज पेश हुई। इस स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील संख्या 13/2018 में निर्णय पारित किया जा चुका है। जिससे इस प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार की कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन पत्रावली मूल अपील पत्रावली के संलग्न की जावें। स्थगन पत्रावली इस न्यायालय से शुमार फैसल की जाकर नम्बर से कम हो। जिला कलक्टर, पाली	